यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, घनसाली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, घनसाली** के माह 04/2014 से माह 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.11.2016 से 19.11.2016 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेन्द्र कुमार जोगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय पाल नैगी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.04.2014 से 23.04.2014 तक श्री ए.सी. कटियार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- विकास खण्ड भिलंगाना जाखणीधर देवप्रयाग व कीर्तिनगर के अंतर्गत निर्माण कार्य का सम्पादन।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14			100.18	96.74	529.67	500.90		
2014-15			127.74	115.98	383.47	711.43		
2015-16			115.43	97.57	619.39	582.76		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	------------------शून्य---------------				

(III) इकाई को बजट आवंटन राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, घनसाली** (अ) श्रेणी की है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, घनसाली** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें, घनसाली** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह 03/2015, 03/2016 एवं माह 10/2016 के अनुसार अधिकतम मूल्य की योजनाओं का प्रतिचयन किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामलें एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

-------------------शून्य------------------

भाग-दो(ब)

1- मोटर मार्गों के निष्पादन पर ` 80.96 लाख का अनियमित व्यय।

2- बिना अर्थदण्ड के Extension प्रदान कर ` 4.60 लाख की राजस्व हानि होना तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना।

3- ` 44.80 लाख की राशि का अवरूद्ध रहना।

4- विभागीय उदासीनता के कारण निर्धारित कार्य स्थल पर ` 9.30 लाख का निर्माण कार्य नहीं कराया जाना एवं ` 0.70 लाख का अलाभाकारी व्यय किया जाना।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
05/2014-15	1,2	2	1,2

2- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----------शून्य-----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----------शून्य-------------

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- मोटर मार्गों के निष्पादन पर ` 80.96 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रस्तर 27 के अनुसार निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति निविदाएँ आमंत्रित कर की जानी चाहिए। शासन द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत मार्च 2015 में पलेठी हिंडोलाखाल मोटर मार्ग के किलोमीटर 01 में आम गौरी से गड़ाकोट ग्रामीण मोटर मार्ग, बहियार गढ़ सौराखाल मोटर मार्ग के किलोमीटर 9 में कुमाल्डीखाल ग्रामीण मोटर मार्ग एवं अखौड़ी गाँव किलोमीटर 27 से चौरी गाँव से दुबड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्रमशः ` 149.90 लाख, 158.96 लाख एवं ` 173.91 लाख, की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी थी। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मार्च 2016 तक ` 109.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल ` 80.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उक्त तीनों मार्गों का निर्माण, कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर कोटेशन, के आधार पर कराया जा रहा था। उक्त मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त किए गए कोटेशन के विश्लेषण में पाया गया कि एक ही समय में एक ही प्रकार के कार्य हेतु ठेकेदारों द्वारा अलग-अलग दरें कोट की गयी थी, जिन्हें कार्य करने हेतु अनुमोदित किया गया था। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैः-

<table>
<tr><th rowspan="2">मार्ग का नाम</th><th colspan="6">Earthwork in excavation
RR Stone Masonry and Back filling</th></tr>
<tr><th colspan="6">Rates quoted by Mohan Lal Joshi, (Constractor) for same kind of work</th></tr>
<tr><td rowspan="2">बडियार गढ़ सौराखाल मोटर मार्ग के किलोमीटर 9 में कुमाल्डीखाल ग्रामीण मोटर मार्ग</td><td colspan="2">Below 0.15% from departmental rates</td><td colspan="2">Below 0.05% from departmental rates</td><td colspan="2">Below 1.00% from departmental rates</td></tr>
<tr><td colspan="6">Rates quoted by Sanjeev Kumar (Contractor) for same kind of work.</td></tr>
<tr><td>अखौड़ी गाँव किलोमीटर 27 से चौरी गाँव से दुबड़ी गाँव मोटर मार्ग</td><td colspan="3">Below 1.00% from departmental rates</td><td colspan="3">Below 0.50% from departmental rates</td></tr>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रखण्ड द्वारा एक तो वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर, वृहत निर्माण कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर निविदा के स्थान पर कोटेशन के आधार पर निर्माण कराया गया था एवं कोटेशन के अनुमोदन के समय एक ही कार्य हेतु दरों कि समरूपता का ध्यान भी नहीं रखा गया। इस प्रकार प्रखण्ड द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त मार्गों के निर्माण पर ` 80.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर दिया कि कोटेशन की प्रक्रिया को निरस्त कर, अब उक्त मार्गों के शेष कार्यों के निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रखण्ड को वित्तीय नियम का अनुपालन करते हुए निविदाएँ आमंत्रित हुए समान कार्य हेतु समान प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य का निष्पादन कराया जाना चाहिए था।

अतः वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर उक्त मार्गों के निर्माण पर ` 80.96 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- बिना अर्थदण्ड के Extension प्रदान कर ` 4.60 लाख की राजस्व हानि होना तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाना।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, खण्ड घनसाली के विकास खण्ड कार्यालय कीर्तिनगर परिसर में TYPE-III के 04 - नग आवासी भवनों का निर्माण से संबंधित लेखा अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि जिला अधिकारी द्वारा मार्च 2011 में जिला योजना के अंतर्गत अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड खण्ड, घनसाली के विकास खण्ड कार्यालय कीर्तिनगर परिसर में TYPE-III के 04-नग आवासीय भवनों का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की। विभाग द्वारा दिनांक 01.03.2014 अनुबंध कराया गया तथा 01.03.2014 को कार्य प्रारम्भ कर दिसम्बर 2014 तक समाप्त करना था। यह निविदा अधीक्षण अभिंयता द्वारा अनुबंध संख्या 12/ग्रा.अ.से.वि./2013-14 दिनांक 01.03.2014 को करार पाया था। निविदा के शर्तों के अनुसार कार्य को यथा संभव समय रहते पूर्ण करने हेतु इस प्रकार Target Fix किए गए थे। पहले 03 माह में 25 प्रतिशत, 06 माह से 50 प्रतिशत, 09 माह से 75 प्रतिशत एवं 12 माह में शत प्रतिशत प्रगति में लाया जाना अनिवार्य था। साथ ही निर्माण कार्य की Quality हेतु Material की समय-समय पर टेस्टिंग ठेकेदार द्वारा करवाना था। जांच में आगे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य निविदा शर्तों के अनुसार नहीं कर पया रहा था। वं पहले तीन माह में कार्य की प्रगति शून्य थी। तथा कार्यालय द्वारा समय समय (05 माह, 13 माह एवं 17.5 माह) पर ठेकेदार को यह सूचित किया गया कि कार्य शीघ्र से अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय लेकिन ठेकेदार को Formally कोई भी Extension नहीं प्रदान किया गया न ही ठकेदार को कोई सूचना दी गई कि समय रहते कार्य पूर्म न करने पर उस के विरूद्ध अर्थ दंड लगाया जाएगा। जब कि इस कार्य का Final Measurement दिनांक 05.11.2015 को लिया गया है। साथ ही इस कार्य का ठेकेदार को पूर्ण भुगतान ` 46.71 लाख भी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कि ठेकेदार को बिना Extension दिये कार्य क्यों कराया गया, जिससे ठेकेदार पर अर्थदण्ड भी नहीं लगाया जा सका। एवं ऐसा न करने से उत्तराखण्ड Procurement Rule की धारा 36(D) की अवहेलना करते हुए लगभग ` 4.60 लाख की राजस्व हानि हो गई। इकाई द्वारा बताया गया कि Extension स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी की संस्तुति ली जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा समय रहते सक्षम अधिकारी से Extension लेने में विफल रही तथा ठेकेदार को बिना अर्थदण्ड लगाए Final payment भी कर दी गई है। इस प्रकार ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना लाभ पहुंचाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- ` 44.80 लाख की राशि का अवरूद्ध रहना।

अप्रैल 2013 में, प्रखण्ड को, जिला योजना के अंतर्गत विकास खंड देवप्रयाग में पटवारी चौकी देवलकण्डी के निर्माण हेतु जिलाधिकारी द्वारा ` 9.30 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी, उद्यान विभाग द्वारा सचल दल केन्द्र, खण्ड-चमोली के निर्माण हेतु ` 21.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार पायका योजना के अंतर्गत खेल मैदानों के निर्माण हेतु प्रति मैदान ` 1.00 लाख की दर से 14 जनपद के विभिन्न चयनित ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण हेतु सितम्बर 2014 एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा ` 14.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी।

अभिलेखों की नमूना संवीक्षा में पाया गया कि उक्त सभी निर्माण कार्यों की धनराशि, प्राप्त होने के दो से साढ़े तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, उपलब्ध न होने के कारण, कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप, न कि उक्त ` 44.80 लाख की धनराशि दो से साढ़े तीन वर्ष से अवरूद्ध पड़ी हुई थी, बल्कि निर्माण कार्यों के आरम्भ न किए जाने कारण लागत वृद्धि भी हो रही थी। जैसा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दरों के संशोधित किए जाने के कारण पटवारी चौकी की अनुमानित लागत ` 9.30 लाख से 36.23 प्रतिशत बढ़कर ` 12.67 लाख हो गयी।

लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में संबंधित विभाग से निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त की जाएगी, एवं अवरूद्ध धनराशि को वापस करने की कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ` 44.80 लाख की धनराशि का अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- विभागीय उदासीनता के कारण निर्धारित कार्य स्थल पर ` 9.30 लाख का निर्माण कार्य नहीं कराया जाना एवं ` 0.70 लाख का अलाभाकारी व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व भूमि हस्तान्तरण होना अनिवार्य है

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि ` 9.30 लाख की लागत से पटवारी चौकी, देवलकण्डी के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी द्वारा देवलकण्डी में भूमि का चयन कर इकाई को उपलब्ध करा दी गयी थी (दिनांक 07.09.2013)। उक्त कार्य हेतु अनुबंध सं. 05/स.अ./2013-14 दिनांक 19.06.2013 गठित किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त कार्य को दिनांक 19.06.2013 को प्रारम्भ कर दिनांक 18.12.2013 (06 माह) तक पूर्ण करना था। इकी द्वारा उक्त पटवारी चौकी का निर्माण कार्य देवलकण्डी में प्रारम्भ ना कर जामणीखाल में किया जाना लगा जिसका विरोध देवलकण्डी के प्रधानगण एवं ग्राम वासियों ने किया (दि. 06.08.2013)। इसके चलते परगना मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर ने जामणीखाल में चल रहे उक्त निर्माण कार्य को अग्रिम आदेशों तक रोकने का आदेश दिया (दि. 06.08.2013)। कार्य रोक दिये जाने एवं पुनः अतिरिक्त कार्यस्थल का चयन न होने के कारण ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य का भुगतान ` 69,976 करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया गया एवं अवशेष धनराशि ` 8,60,024 को संबंधित विभाग को वापस करने की संस्तुति की गयी (दि. 21.05.2014)। इस प्रकार इकाई द्वारा निर्धारित कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण ` 9.30 लाख का कार्य नहीं कराया जा सका एवं उक्त कार्य पर ` 69,976 लाख का अलाभकारी व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि पूर्व चयनित स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु क्षेत्रीय जनता द्वारा विवाद उत्पन्न होने के कारण बाधित हुआ। पुनः स्थल उपलब्ध कराया गया था, जोकि अनुपयुक्त था। पुनः नवीन स्थल हेतु एस.डी.एम. को लिखा गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त जमीन उपलब्ध होने के बावजूद पटवारी चौकी का निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित कार्यस्थल देवलकण्डी में प्रारम्भ ना कर जामणीखाल में किया जाने लगा, जिसका विरोध देवलकण्डी के प्रधानगण एवं ग्राम वासियों ने किया। इसके चलते परगना मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर को कार्य को रोकने का आदेश निर्गत करना पड़ा।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण निर्धारित कार्य स्थल पर ` 9.30 लाख का निर्माण कार्य नहीं कराया जाना एवं उक्त कार्य पर ` 0.70 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, घनसाली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	श्री विभू विश्वमित्र रावत	अधिशासी अभियन्ता	09.07.2013 से 09.03.2015
2.	श्री युवराज सिंह	अधिशासी अभियन्ता	09.04.2015 से 15.08.16
3.	श्री के.बी. थपलियाल	अधिशासी अभियन्ता	16.08.2016 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, घनसाली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)